

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक-भवन/समन्वय/वि०स०/विविध-04/2023... 738 (अ)

प्रेषक,

शिव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
अभियंता-प्रमुख के सचिव (प्रा०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग।
निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय कोषांग भवन निर्माण विभाग।
उप निदेशक-1 एवं 2, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय कोषांग,
भवन निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग।
भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग।
वरीय वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग।

विषय:- बिहार विधानमंडल के सत्रावधि में मुख्यालय में उपस्थित रहने के संबंध में।

पटना, दिनांक- 21/1/26


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधानमंडल के 02 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक आहूत सत्र के दृष्टिगत पूरी सत्रावधि के दौरान अपने-अपने मुख्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि विधानमंडलीय प्रश्नों की प्रश्नोत्तर सामग्री के संबंध में किसी भी समय आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। सत्रावधि के दौरान अपने-अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों की भी मुख्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।

2. अनिवार्य रूप से अभिलिखित विशेष परिस्थिति में सत्रावधि के दौरान किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी, यथा-कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता का विभागीय सचिव की अनुमति के पश्चात् तथा वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरान्त ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

3. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

4. कृपया इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।